

24/09/19

पत्रावली पत्र हुई। बकनाम जज।
~~मुताबिक~~ पीठारतः तदधिकारी
 दोरे पर अन्य कार्य में भारत।
 पत्रावली पूरा आदेशानुसार आदेश
 दिनांक-30/10/19 को पेश हो।


30/11/19

वकील वादीगण उप०। प्रतिवादीगण सं० 3 व 4 की
 तामील सम्पत्त लप से होकर लौटी हैं। कावजूद
 सम्पत्त तामील उक्त प्रतिवादीगण की ओर से
 कोई हजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादीगण
 की लख्मी जसिमे सं० 3 व 4 के विरुद्ध एक पक्षीय
 कार्यवाही अमल में लई जाती है। वकील वादीगण
 की उच्छरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।
 बहसे आदेशार्थ मिसल दिनांक 14/11/19 को
 पेश हो।

14/11/19

मिसल बहसे आदेश आज पेश हुई। वकील
 वादीगण उप०। दोरते बहस वकील वादीगण
 ने उच्छरण में मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री
 किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रैकोर्ड,
 पेशाशुदा राजीनामा, हक्कालिया जवान दान का
 अक्लौकन किया गया तथा वकील वादीगण
 की बहस पर सगौर मनन किया गया जिससे
 वादीगण का बाद स्वीकार किया जाने योग्य
 पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया
 जाता है तथा उच्छरण में घोषणा इस आशय



की जारी की जाती है कि :-

निर्णय

तब ग्राम नीमंडा तहसील खण्डेला जिला सीकर
राज. अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 1300 ता 1305,
1307 ता 1317 एका 12.88 हे. में 1/6 हिस्सा का
वादीगण एवं तृतीकी प्रतिवादी सं. 5 को अहिस्सा
कारण खातेदार कारतकार दौषित किया जाकर
उक्त हिस्सा से प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं 4 का
नाम हजफ किया जाता है तथा कृषि भूमि
ख. नं. 1332, 1335, 1339 एका 1.72 हे. में
1/2 हिस्सा का, ख. नं. 1333 एका 1.84 हे.
में 1/2 हिस्सा का, ख. नं. 1334, 1336 ता 1338,
1340, 1342 एका 2.87 हे. में 1/2 हिस्सा का एवं
ख. नं. 1331 एका 0.70 हे. में 1/2 हिस्सा का
प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अहिस्सा कारण खातेदार
कारतकार दौषित किया जाकर उक्त हिस्सों से
वादीगण व तृतीकी प्रतिवादी सं. 5 का नाम
हजफ किया जाता है तथा उक्त हिस्सों पर
प्रतिवादी सं. 4 का रهن ड्रवस्त किया जाता है
उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल ग्रामद हो
तथा तदनुसार पन्ची डिफ्री मूर्तिब हो। पत्रासी
कैसल श्रुमार होकर नम्बर से कम हो तथा
बाद तलमील दाखिल दफ्त हो। निर्णय उले
न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

अज्ञेय - डिक्री मुकदमा इन्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक क्लर्क फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला
 व इजलास श्री राजीत सिंह, RAS

① दूडा राम * बनाम ① कजे. *

दावा बावत घोषणा, ल्यापी निषेधाता न हकस्ती रिपोर्ट

मुकदमा नं. 106 रान 2019

यह मुकदमा आज वारत इनाफिसाल कतई रुबरु श्री राजीत सिंह, RAS
 व हाजिरी श्री उमेश्वर लाल तैतवाल गिनजानिव मुदई रुबरु श्री कन्वारी लाल जांगू

गिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम नीमडा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. अवस्थित छपि मूग्री
ख. नं. 1300 ता 1305, 1307 ता 1317 कवा 12.88 हे. में 1/6 हिस्सा का
वादीगवा एवं लतीकी उत्तिफी सं. 5 को व हिस्सा कवा खतौफा कभ्रतणा
घोषित किया जाणक उक्त हिस्सा से उत्तिफी सं. 1 व 2 एवं 4 का नाग हफ्त *

गिज मुबलिंग बावत

खर्चा इस मुकदमें के मग सूद नशरह फीसदी तानाना आज की तारीख से
 तारीख अदायगी तक का अदा करें।

वसत मेरे दफ्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14 माह 11 रान 2019 को
 जारी की गई।

दस्ताखत

सहायक क्लर्क
 आहदा
 (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

मुहर



मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बावत इजराय हुकमनामा		
बावत इजराय हुकमनामा			मुताफरिक		
मुताफरिक					
मीजान			मीजान		

* ② शीशाम पुत्रगण लडागाम जाति जाट निवासी नीमंडा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) - वादीगण

नाम

* ① रिष्पाल पुत्रगण गौड़ जाति जाट निवासी नीमंडा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

③ भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर राज०।

④ मैनेजर पंजाब अंतराल बैंक शाखा-अमरकोट (सीकर)

- प्रतिवादीगण

⑤ कॅलाश पुत्र लडागाम जाति जाट निवासी नीमंडा
तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

- तृतीया प्रतिवादी

* किया जाता है तथा कृषि भूमि ख० नं० 1332, 1335, 1339 एका
1.72 है. में 1/2 हिस्सा का, ख० नं० 1333 एका 1.84 है. में 1/2 हिस्सा
का, ख० नं० 1334, 1336 ता 1338, 1340, 1342 एका 2.81 है.
में 1/2 हिस्सा का एवं ख० नं० 1331 एका 0.70 है. में 1/2
हिस्सा का प्रतिवादी सं० 1 व 2 को वह हिस्सा बराबर खोदकर
कार्रतकार घोषित किया जाकर उक्त हिस्सों में वादीगण
व तृतीया प्रतिवादी सं० 5 का नाम हजफ़ किया जाता है तथा
उक्त हिस्सों में पा प्रतिवादी सं० 4 का हक दुखस्त किया
जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दायम
हो।

सहायक कलेक्टर
(राजस्व डिवी) खण्डेला

